

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 83 सन 2021

अनवान :-

1. सुरेन्द्र पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. पृथ्वी पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. दलीप पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. धर्मपाल पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. कृष्ण पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
7. सुमित्रा पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
8. गुडडी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
9. राधा पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
10. रानीदेवी पुत्री रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
11. सन्तोष पुत्री रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
12. कान्ता पुत्री रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
13. सुभाष पुत्र रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
14. सन्दीप पुत्र रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
15. कमलादेवी पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
16. सीतादेवी पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 102/98 की कुल 4.0340हैक् भूमि तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है जिसका देहान्त हो चुका है तनसुखराम पुत्र पुराराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीयो के वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 15 वादी की बहने है तनसुखराम की पुत्रीया एवं पुत्रीयो के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 7 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की तनसुखराम जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के दादा तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है तनसुखराम पुत्र पुराराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है जो तनसुखराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 15 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/माता के भाई/ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 16 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 102/98 की कुल 4.0340 है व भूमि तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है जिसका देहान्त हो चुका है तनसुखराम पुत्र पुराराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीयो के वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 15 वादी की बहने है तनसुखराम की पुत्रीया एवं पुत्रीयो के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 7 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज

646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 102/98 की कुल 4.0340हैक् भूमि तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है जिसका देहान्त हो चुका है तनसुखराम पुत्र पुराराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र /पुत्रीयो के वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो तनसुखराम पुत्र पुराराम के नाम से दर्ज वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है। वादी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 7 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 102/98 की कुल 4.0340हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुरेन्द्र पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. पृथ्वी पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. दलीप पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. धर्मपाल पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. कृष्ण पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
7. सुमित्रा पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
8. गुडजी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
9. राधा पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
10. रानीदेवी पुत्री रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
11. सन्तोष पुत्री रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
12. कान्ता पुत्री रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
13. सुभाष पुत्र रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
14. सन्दीप पुत्र रामेश्वरी पुत्री तनसुखराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
15. कमलादेवी पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
16. सीतादेवी पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल आबाद उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 83 सन 2021 निर्णय दिनांक- 16/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 102/98 की कुल 4.0340 हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )